

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.
-------------	---

व्यावधान में ही किया जाता है जो
पक्षों को अपूरणीय शक्ति देना
संभावित है। अतः प्रस्ताव उपर
द्वारा पक्षों के पक्ष के साक्षि
है।

अतः आदेश है कि विवादित
आराखी 206/0.91, 210/0.35, 1039/0.24,
1040/0.15, 1041/0.40, 1042/0.31, 1043/0.30,
1347/0.50, 1348/0.12 कुल किया 9
प्रकवा 4.030 है, वही ग्राम गदवाली
तह. गदवा में गैर साधन को डीप
के विस्तारण तक साधन के रूप
कारण में प्रकवा नहीं करने व अत
विवादित भूमि में निर्माण नहीं करने
व जोड़ की प्रकवा स्थिति बनाने रखने
के लिए पाबंद किया जाता है।
निर्माण स्थल साधन में सुनना
अतः प्रस्तावकी केसल अतः दोहर
मुक्त वाड के साथ साधन है।

Pml
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला दौसा